

प्रेषक,

आलोक कुमार

प्रमुख सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ० प्र० लखनऊ

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 13 जुलाई, 2023

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम० डी०/ एम० एस०/डिप्लोमा/डी० एन० बी०/एम० डी० एस०) में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश/नीति निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम० ई० 0-03/2023/1473, दिनांक-06.07.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल एलिजबिलिटी इन्ट्रेन्स टेस्ट (NEET) पी० जी०-2023 की मेरिट सूची के आधार पर स्टेट कोटा की सीटों के सापेक्ष शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम० डी०/ एम० एस०/डिप्लोमा/डी० एन० बी०/एम० डी० एस०) में प्रवेश हेतु निम्नवत दिशा-निर्देश/नीति निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची:-

नीट पी० जी०-2023 एवं नीट एम० डी० एस०-2023 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, पंजीकरण/धरोहर धनराशि के भुगतान आदि की कार्यवाही हेतु गत वर्ष की भांति ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०) योजना भवन, लखनऊ को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है। मेरिट सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश तथा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ० प्र० या उनके द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा एन० आई० सी० के सहयोग से तैयार की जाए।

पी० एम० एच० एस० सर्वर्ग के एम० बी० बी० एस० डिग्री धारक चिकित्सकों को राजकीय

I/348793/2023

मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-8047/2016 डा० दिनेश सिंह चैहान बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-16.08.2016 के क्रम में Weightage (भारांक) दिया जाए।

एन० आई० सी० द्वारा तैयार किए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल पर एम० डी०/एम० एस०/डिप्लोमा के पंजीकृत अभ्यर्थियों की स्टेट मेरिट सूची स्वास्थ्य विभाग द्वारा पी० एम० एच० एस० संवर्ग के अर्ह चिकित्सकों की सूची को नियमानुसार भारांक Weightage प्रदान करते हुये तैयार करायी जाए। डी० एन० बी० तथा एम० डी० एस० के पंजीकृत अभ्यर्थियों की स्टेट मेरिट सूची आल इण्डिया रैंक के आधार पर तैयार की जाए।

2- विवरण पुस्तिका (ब्रोशर):-

नीट पी० जी०-2023 एवं नीट एम० डी० एस०-2023 के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध स्टेट कोटे की 50 प्रतिशत स्नातकोत्तर सीटों एवं निजी क्षेत्र की चिकित्सा संस्थाओं की 100 प्रतिशत स्नातकोत्तर सीटों हेतु आयोजित की जाने वाली काउंसिलिंग से संबंधित विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने की कार्यवाही महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति, जिसमें के० जी० एम० यू०, लखनऊ, डा० राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, शासन के प्रतिनिधि तथा चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के अधिकारी सम्मिलित होंगे, के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

3- अर्हताएं (Eligibility):-

- अभ्यर्थी द्वारा नीट पी० जी०-2023 तथा नीट एम० डी० एस०-2023 की परीक्षा में प्रतिभाग किया हो तथा परीक्षा में अर्ह घोषित किया गया हो।
- अभ्यर्थी द्वारा एन० आई० सी० की वेबसाइट <https://upneet.gov.in> पर निर्धारित शुल्क जमा करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया हो।
- नीट एम० डी० एस० 2023 की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी, जिन्होंने अपनी इण्टर्नशिप **30 जून, 2023** तक पूर्ण कर ली हो।
- नीट पी० जी०-2023 (एम० डी०/एम० एस०/डिप्लोमा/डी० एन० बी०) की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी अपनी इण्टर्नशिप **11 अगस्त, 2023** तक पूर्ण हो रही हो।
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से एम० बी० बी० एस०/बी० डी० एस० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी राजकीय क्षेत्र की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के स्टेट कोटे की सीटों के लिए अर्ह होंगे।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल संस्थानों की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य

सहित भारत के अन्य प्रदेशों के उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे।

- ऐसे अभ्यर्थी जो भारतीय नागरिक या भारत के मूल निवासी हों, जिन्होंने भारत के बाहर मेडिकल कालेजों से अपनी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त किया है, उन्हें नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन द्वारा नीट पी0 जी0-2023 के लिये जारी सूचना बुलेटिन के बिन्दु 4.10 में दिये गये निर्देशानुसार, एफ 0 एम 0 जी 0 ई 0 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये तथा उन्हें एम 0 एम 0 सी 0/एम 0 सी 0 आई 0 या राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिये। ऐसे अभ्यर्थियों की इण्टर्नशिप **11 अगस्त, 2023** तक पूर्ण होनी चाहिये। ऐसे अभ्यर्थी प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों की सीटों हेतु अर्ह होंगे। (सपठित सूचना दिनांक-07.02.2023 एन 0 बी 0 ई 0, नई दिल्ली)
- यू 0 पी 0 नीट पी 0 जी 0-2023 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु विदेशी नागरिकों के लिए पात्रता मानदण्ड का निर्धारण नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन द्वारा नीट पी 0 जी 0-2023 के लिये जारी सूचना बुलेटिन के बिन्दु 4.11 में दिये गये निर्देशानुसार होंगे। ऐसे अभ्यर्थी प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों की सीटों हेतु अर्ह होंगे।
- पी 0 एम 0 एच 0 एस 0 संवर्ग में कार्यरत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सूची चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ 0 प्र 0 द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी, वह राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे:-

उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दु के क्रम में डा 0 सौरभ द्विवेदी व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य द्वारा योजित सिविल अपील संख्या-8268/2017 तथा डा 0 नितिन कुमार व अन्य बनाम डा 0 राम दिवाकर व अन्य द्वारा योजित सिविल अपील संख्या-8274/2017 में मा 0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-07.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मा 0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-07.06.2017 के बिन्दु-15 में प्रदान किये गये निर्णय के सुसंगत अंश निम्नलिखित है:-

"The aforesaid circular clearly mentions that benefit of Rule 9(iv) of the 2000 Regulations shall be available to medical officers belonging to PMHS cadre, who have served in remote and difficult areas. No distinction has been made between those who have graduated from within the State of U.P. or those who have graduated from outside the State of U.P. Once the graduate doctors, whether they have qualified their MBBS/BDS examination from within the State of U.P. or from any other part of the country, are selected and join the medical health service in the State of U.P., they form part of one service, i.e. PMHS. Thereafter, when these doctors are posted to remote or difficult areas they are posted as doctors of PMHS and not on the basis as to which State they have done their graduation from. We, therefore, see no reason as to why the benefit of weightage in terms of Regulation 9(iv) should be limited to those in service candidates of the PMHS category, who have graduated from within the State of U.P. This is a totally artificial distinction drawn up by the High Court. In fact, the state of U.P. had also not made any such distinction and

the affidavit of the Chief Secretary was categorical that the 2000 Regulation had not created such a divide and distinction".

- डी0 एन 0 बी0 पाठ्यक्रम की स्टेट कोटा सीटों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के **In Service** अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे।
- ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में किसी विशिष्टता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उसी विशिष्टता की डिग्री पाठ्यक्रम हेतु अर्ह हैं। इस दशा में एम 0 सी0 आई 0 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन-2000, यथा संशोधित मई 2018 के बिन्दु 10 में निम्न व्यवस्था है:-

10. PERIOD OF TRAINING

The period of training for the award of various postgraduate degrees or diplomas shall be as follows:

(1) Doctor of Medicine (M.D.) /Master of Surgery (M.S.)

The period of training for obtaining these degrees shall be three completed years including the period of examination.

Provided that in the case of students possessing a recognised two year postgraduate diploma course in the same subject, the period of training, including the period of examination, shall be two year.

4- अनर्हताएं (Not Eligible):-

- ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों अथवा अनुत्तीर्ण हों, वे राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/ संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम 0 बी0 बी0 एस 0/बी0 डी0 एस 0 परीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं उ०प्र० राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों की सीटों पर प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

5- समय सारिणी:-

मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेशों तथा भारत सरकार द्वारा काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में निर्गत की जाने वाली समय सारिणी के आलोक में प्रदेश में नीट पी०जी०-2023 की काउन्सिलिंग में समय सारिणी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति तय करेगी।

6- पंजीकरण शुल्क:-

- यू0 पी0 नीट पी0 जी0-2023 एवं नीट एम 0 डी0 एस 0-2023 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 3,000/- (रुपये तीन हजार मात्र) प्रति अभ्यर्थी दोनों चक्रों (प्रथम व द्वितीय चक्र) की काउंसिलिंग हेतु आनलाइन माध्यम से जमा कराया जायेगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण नहीं कराया जाता है तथा वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है, तो भी उसे रू0 3,000/- (रुपये तीन हजार मात्र) का पंजीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
- मॉप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों को नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मॉप-अप राउण्ड हेतु रू0 2000/- (रुपये दो हजार मात्र) पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराया जायेगा।
- पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस देय नहीं (Non Refundable) होगा।

7- धरोहर धनराशि (Security Money):-

यू0 पी0 नीट पी0 जी0-2023 एवं नीट एम 0 डी0 एस 0-2023 की काउंसिलिंग हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) की व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटों हेतु- रू0 30,000/- (रुपये तीस हजार मात्र)

ख- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों हेतु- रू0 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)

ग- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की सीटों हेतु- रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र)

- धरोहर धनराशि (Security Money) आनलाइन माध्यम से जमा करायी जायेगी।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लिया जाएगा, उनकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है, तो ऐसी दशा में उनकी धरोहर धनराशि, जिस एकाउन्ट से भुगतान किया जायेगा उसी एकाउन्ट में नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।

8- आरक्षण व्यवस्था:-

प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/स्वायत्तशासी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की स्टेट कोटा के सीटों पर आरक्षण निम्नानुसार लागू की जानी है।

उर्ध्ववाधर (Vertical) आरक्षण

अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत

I/348793/2023

ई 0 डब्लू 0 एस 0 श्रेणी के अभ्यर्थी

10 प्रतिशत

क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण

दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी

05 प्रतिशत

- रिट याचिका संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ 0 प्र 0 राज्य व अन्य में मा 0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्षैतिज आरक्षण के संबंध में दिनांक-24.3.2017 को पारित आदेश द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली कातेपय जातियाँ भारत सरकार में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित हैं। यह सम्भावना है कि नीट पी 0 जी 0-2023 के आवेदन के समय उ 0 प्र 0 राज्य के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जाति अनारक्षित श्रेणी में दर्शा दी गई हो। अतः उत्तर प्रदेश राज्य की नीट पी 0 जी 0-2023 की काउंसिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में एम 0 बी 0 बी 0 एस 0/बी 0 डी 0 एस 0 पाठ्यक्रम में आल इण्डिया कोटा की 15 प्रतिशत सीटों पर अन्य प्रदेश के प्रवेशित अभ्यर्थियों को स्टेट कोटा की पी 0 जी 0 सीटों पर आरक्षण सम्बन्धी लाभ देय नहीं होगा तथा वह अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ही माने जायेगे।
- आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों से निर्गत एवं नियत प्रारूप पर ही मान्य होंगे। (एम 0 सी 0 सी 0 पत्र संख्या-U-12021/02/2023-MEC Dated 27-6-2023)
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों की सीटों पर कोई आरक्षण देय नहीं है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2023 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों को उनके बायलॉज के अनुसार अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जायेगें।

9- काउंसिलिंग एवं आवंटन प्रक्रिया:-

- काउंसिलिंग प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा काउन्सिलिंग के संबंध में निर्गत समय-सारिणी में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्पन्न की जायेगी।
- अभ्यर्थी को प्रथम चक्र से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना होगा, आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी, ऐसे अभ्यर्थी पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात ही द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु अर्ह होंगे।
- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से अनावंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे तथा इन्हें पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को अपग्रेड करने के लिए द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनरावंटन (Reshuffle) हेतु विकल्प भर (Choice Filling) सकता है। द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन (Reshuffle) न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसिलिंग से आवंटित सीट पर लिया गया प्रवेश यथावत बना रहेगा।
- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी दूसरे चक्र की काउंसिलिंग में पुनरावंटन हेतु च्वाइस फिलिंग के दौरान प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित/प्रवेशित सीट/कालेज का विकल्प न भरे। यदि पूर्व आवंटित/प्रवेशित सीट/कालेज का विकल्प भरने के पश्चात् प्रथम चक्र से आवंटित सीट एवं कालेज पुनः आवंटित हो जाती है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया पुनः सम्पन्न करनी होगी, अन्यथा की दशा में प्रथम चक्र से आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी।

10- प्रवेश प्रक्रिया:-

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी आवंटित कालेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित समस्त शुल्क संबंधित मेडिकल/डेन्टल कालेज में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार जमा करने के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। किसी भी दशा में धरोहर धनराशि शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को आवंटित कालेज में प्रवेश हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क की धनराशि को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के पक्ष में देय हो, के साथ निर्धारित नोडल सेन्टर पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना

अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में धरोहर धनराशि शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी।

- प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा समस्त शैक्षणिक अभिलेख मूल रूप में संबंधित कालेज/नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी आल इण्डिया/अन्य प्रदेशों के नीट पी0 जी0-2023 की काउंसिलिंग के माध्यम से किसी अन्य मेडिकल/डेण्टल कालेज में प्रवेशित है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेशित कालेज से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) एवं जमा मूल अभिलेखों की हस्ताक्षरित सूची (कालेज प्रशासन द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय के अन्तर्गत मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराता है तो उसका आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी।

- रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार-उस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 09.05.2017 में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में एम 0 बी0 बी0 एस 0 पाठ्यक्रम के प्रवेश के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:-

"The students who secure admission in MBBS course pursuant to the Common Counselling conducted by the State Government, at the time of common Counseling itself, should be made to deposit with the admission/ Counseling committee the Demand Draft towards the fees payable to the institution College/University. The admission/counseling committee shall forthwith forward the Demand Draft to the respective Institution/Colleges/University. The necessity for including the above-mentioned requirement has arisen as it has been time and again noticed that when students report to the college after the Counseling, they are refused admission by the colleges on some pretext or the other and it is shown by the college as if the student never reported to the college for admission. If the Demand Draft is deposited by the admission/counseling committee then there would be no scope for colleges to refuse admission to any student."

- इस क्रम में यू0 पी0 नीट पी0 जी0-2023 काउंसिलिंग हेतु विभिन्न मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों को नोडल सेन्टर बनाकर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु अभिलेखों का सत्यापन करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। सत्यापन के समय अभ्यर्थी के अभिलेख गलत पाये जाने पर आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- अभ्यर्थी के प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी प्रमाण-पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई भी अभिलेख/प्रमाण-पत्र/सूचना कूटरचित पायी जाती है, तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।
- काउन्सिलिंग में आवंटित सभी अभ्यर्थियों का कालेज/नोडल सेन्टर स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर नियमानुसार मेडिकल कराया जायेगा।

11- मॉप-अप राउण्ड के सम्बन्ध में:-

- नीट पी0 जी0-2023 एवं नीट एम 0 डी0 एस 0-2023 मॉप-अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो। मॉप-अप राउण्ड हेतु पृथक से पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- मॉप-अप राउण्ड हेतु यू0 पी0 नीट पी0 जी0-2023 एवं नीट एम 0 डी0 एस 0-2023 की प्रथम/द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग एवं आल इण्डिया/अन्य प्रदेशों के किसी भी चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे।
- मॉप-अप राउण्ड में आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र आवंटित मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजो/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटों पर मॉप-अप राउण्ड के आवंटन की प्रोसेसिंग के पश्चात यदि आरक्षित वर्ग की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है तो ऐसी सभी सीटों को अनारक्षित वर्ग में सम्मिलित करते हुये आवंटन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए परिणाम घोषित किया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजो/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटों पर उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही मॉप-अप राउण्ड के आवंटन की प्रोसेसिंग के पश्चात यदि अल्पसंख्यक वर्ग की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है तो ऐसी सभी सीटों को अनारक्षित वर्ग में सम्मिलित करते हुये आवंटन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए परिणाम घोषित किया जायेगा।
- The conversion of seat will be carried out during the Mop-up round of seat allotment for State quota. The said conversion will be done only when the candidates belonging to the said conversion category have exhausted. The algorithm for conversion of category is as follow:

CONVERSION ALGORITHM

S.No.	Conversion Category	Category converted to
1	ST (PwD)	ST
2	SC (PwD)	SC
3	UR (PwD)	UR
4	OBC (PwD)	OBC
5	ST	SC
6	SC	UR
7	OBC	UR
8	EWS	UR
9	Minority	UR

I/348793/2023

- रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार्-उस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 09.05.2017 में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में मॉप-अप राउण्ड के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:-

"In order to ascertain the number of seats that still remain vacant after the counselling the State Government or the authority designated by the State Government shall conduct manual counselling for allotment of students. After the completion counseling, the State Government shall determine the number of seats that are still vacant and thereafter shall forward a list of students in order of merit, equaling to ten times the number of vacant seats to the medical college so that in case of any stray vacancy arising in any college the said seat may be filled up from the said list."

इस प्रकार यू० पी० नीट पी० जी०-2023 की काउंसिलिंग हेतु निजी क्षेत्र के विभिन्न मेडिकल/डेंटल कालेजों में पी० जी० सीटें रिक्त रहने पर रिक्त सीटों का 10 गुना (1:10), ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम, द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग तथा मॉपअप राउण्ड से कोई भी मेडिकल/डेंटल की सीट आवंटित न हुई हो और वह यू० पी० नीट पी० जी०-2023 में पंजीकृत हुए हों, की सूची मेरिट के आधार पर विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी तथा उक्त सूची को संबंधित निजी क्षेत्र के कालेजों को उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि रिक्त सीटों को भरा जा सके।

12- त्याग-पत्र दिये जाने के संबंध में:-

- अभ्यर्थी को सीट का आवंटन (Allotment/Allocation) प्रवेश नहीं है। आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को संबंधित कालेज/नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात् ही प्रवेश मान्य होगा। तत्पश्चात् ही प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकेगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी त्यागपत्र देना चाहता है तो अभ्यर्थी द्वारा जिस मेडिकल/डेंटल कालेज/नोडल सेंटर पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की गयी थी, उसी मेडिकल/डेंटल कालेज/नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्याग-पत्र देना होगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम काउंसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी राजकीय/निजी क्षेत्र की मेडिकल/डेंटल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात् वह प्रदेश की प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउंसिलिंग की च्वाइस फिलिंग से दो दिन पूर्व (उदाहरणार्थ यदि द्वितीय काउंसिलिंग की च्वाइस फिलिंग 24 अगस्त 2023 से प्रारम्भ है, तो अभ्यर्थी 21 अगस्त 2023 को सायं 04.00 बजे तक) अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों हेतु प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के

पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा समस्त शैक्षणिक शुल्क जब्त कर लिया जायेगा व साथ ही साथ रू0 5,00,000/- (रूपये पाँच लाख मात्र) का बाण्ड प्रभावी हो जायेगा। बाण्ड की धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र०, लखनऊ के पक्ष में देय होगी, जिसे संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उक्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराया जायेगा।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी माप-अप राउण्ड से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग-पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा उसके द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु माँप-अप चक्र के बाद अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व अपनी सीट से त्याग-पत्र देता है तो उक्त पाठ्यक्रम की समस्त शिक्षण शुल्क (Tution Fee) अभ्यर्थी द्वारा देय होगी और धरोहर धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी। यदि अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापस की जा चुकी है, तो वह भी अभ्यर्थी को डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र०, लखनऊ के पक्ष में वापस देय होगी। साथ ही साथ रू0 5,00,000/- (रूपये पाँच लाख मात्र) का बाण्ड भी प्रभावी हो जायेगा। बाण्ड की धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र०, लखनऊ के पक्ष में देय होगी, जिसे संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उक्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु माँपअप राउण्ड के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल/ डेण्टल कालेजो/विश्वविद्यालयों में प्रवेशित अभ्यर्थी पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि सीट से त्याग पत्र देता है तो उक्त पाठ्यक्रम की समस्त शिक्षण शुल्क (Tution Fee) सम्बन्धित मेडिकल/ डेण्टल कालेज/ विश्वविद्यालय को देय होगी और धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यदि अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापस की जा चुकी है, तो वह भी अभ्यर्थी को डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र०, लखनऊ के पक्ष में वापस देय होगी।

13- बाण्ड व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में:-

(अ) अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड- राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, संस्थान तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बंधित बांड विषयक शासनादेश संख्या-950/71-2-

I/348793/2023

82/2007 दिनांक-07.03.2018, शासनादेश संख्या-आई/129212/2022 दिनांक-05.01.2022 शासनादेश संख्या-आई/204130/2022/71-4099/1247/2019-4 दिनांक-23.08.2022 तथा शासनादेश संख्या-आई/224549/2022 दिनांक-13.10.2022 के दृष्टिगत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित एग्रीमेण्ट बॉण्ड के संबंध में निम्न तालिकानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

क्र 0 सं 0	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातकोत्तर (एम 0 डी0/ एम 0 एस 0/ एम 0 डी0 एस 0/ पी0 जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	02 वर्ष	रु0 40.00 लाख (डिग्री हेतु) रु0 20.00 लाख (पी0 जी0 डिप्लोमा/ एम 0 डी0 एस 0 हेतु)	यथासंभव/यथावश्यकता महानगरों को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थाओं में सीनियर रेजीडेंट अथवा सहायक आचार्य-संविदा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित महानगरों को छोड़कर जिला चिकित्सालयों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।

(ब) (i) नीट पी0 जी0-2023 एवं नीट एम 0 डी0 एस 0-2023 की स्टेट कोटा/आल इण्डिया काउंसिलिंग के माध्यम से राजकीय मेडिकल/डेण्टल कालेजो/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम 0 डी0/एम 0 एस 0/डिप्लोमा/डी0 एन 0 बी0/एम 0 डी0 एस 0) में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय रु0 5,00,000.00 (रु0 पाँच लाख मात्र) का बाण्ड महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ 0 प्र 0, लखनऊ के पक्ष में देय होगा।

(ii) शासनादेश संख्या-1332 सेक 14/पाँच-96-250/82 टी0 सी0, दिनांक 08 जुलाई, 1996 के अनुसार कोई अभ्यर्थी जिसे किसी विशेषज्ञता के स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उपाधि पाठ्यक्रम में राज्य चिकित्सा कालेजों या के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में, प्रविष्ट किया गया हो, किसी भिन्न विशेषज्ञता में प्रवेश के लिए पश्चातवर्ती प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पाठ्यक्रम जिसमें उसे प्रवेश दिया गया है, पूर्ण नहीं कर लेता है और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है परन्तु यह कि यदि किसी प्रविष्ट छात्र का त्यागपत्र, सम्बद्ध कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, स्वीकार किया जाता है और अभ्यर्थी पाठ्यक्रम/अध्ययन के दौरान उसके द्वारा प्राप्त वृत्तिका/वेतन की सम्पूर्ण धनराशि लौटा देता है, तब ऐसा छात्र पश्चातवर्ती प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा परन्तु यह और कि इस उपखण्ड के

I/348793/2023

उपबन्ध ऐसे अभ्यर्थी पर लागू नहीं होंगे, जो उस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है, जो उसे आवंटित किया गया है।

उक्त शासनादेश के क्रम में स्टेट कोटा/आल इण्डिया काउंसिलिंग के माध्यम से राजकीय मेडिकल/ डेण्टल कालेजो/ संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र देता है तो अभ्यर्थी को प्राप्त समस्त वृत्तिका/वेतन सम्बंधित कालेज/ संस्थान /विश्वविद्यालय को वापस करना होगा।

14- काउंसिलिंग बोर्ड का गठन:-

नीट पी0जी0-2023 एवं नीट एम0डी0एस0-2023 की काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कराये जाने हेतु काउंसिलिंग बोर्ड का गठन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा, जिसमें शासन स्तर से न्यूनतम विशेष सचिव स्तर के 01 अधिकारी को नामित किया जाएगा। काउंसिलिंग बोर्ड में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों के प्रतिनिधियों के नामांकन की व्यवस्था है, जिसे यथावत् लागू रखा जाये।

15- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में शिक्षण शुल्क के सम्बन्ध में:-

शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों का शिक्षण शुल्क पृथक से निर्धारित कर शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

16- काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में:-

नीट पी0जी0-2023 एवं नीट एम0डी0एस0-2023 की ऑनलाइन काउंसिलिंग के संचालनार्थ, व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति मेडिकल कालेज से रू0 2,00,000/- तथा डेण्टल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति डेण्टल कालेज रू0 1,00,000/- जमा कराया जायेगा।

17- नीट पी0जी0-2023 एवं नीट एम0डी0एस0-2023 के काउंसिलिंग कार्य हेतु चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-77/71-3-1998 दिनांक-31.01.1998 में निहित निर्देशानुसार महानिदेशालय स्तर, नोडल सेंटर के स्तर से यथा स्टेशनरी, कम्प्यूटर कार्टेज, विधिक कार्य, वाहन, जलपान व अन्य प्रशासनिक मदों में होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति सी0पी0एम0टी0 फण्ड से किया जायेगा।

काउंसिलिंग से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों (शासन/महानिदेशालय/एन0आई0सी0) को मानदेय दिये जाने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2974/71-2-12-69/2006 टी0सी0 दिनांक-29.9.2012 में निहित निर्देशानुसार परिधिगत कार्मिकों को मानदेय/पारिश्रमिक देने की कार्यवाही की जायेगी।

I/348793/2023

18- समय-समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप काउन्सिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

19- The jurisdiction for court cases/disputes shall be at Lucknow only.

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ० प्र०, लखनऊ।
4. निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस०, लखनऊ।
5. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।
7. निदेशक, एन० आई० सी०, योजना भवन, लखनऊ।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ० प्र० द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ० प्र० द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश पर मुख्य प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ० प्र० शासन।
10. निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री/मा० राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

उप सचिव।

प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु नोडल सेन्टर

क्र 0 सं 0	नोडल सेन्टर का नाम	नोडल सेन्टर से सम्बंधित निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज	नोडल सेन्टर से सम्बंधित निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	1. एराज़ लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ 2. कैरियर मेडिकल कालेज, लखनऊ 3. टी0 एस 0 मिश्रा मेडिकल कालेज लखनऊ 4. इन्टीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ। 5. प्रसाद मेडिकल कालेज, लखनऊ	1. सरस्वती डेण्टल कालेज, लखनऊ 2. सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टी0 3. ऑफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ 4. कैरियर इंस्टी0 आफ डेण्टल साइंसेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ
2	एल 0 एल 0 आर 0 एम 0 मेडिकल कालेज, मेरठ	6. मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर 7. सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ 8. सरस्वती इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज, हापुड 9. रामा मेडिकल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड 11. नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज, मेरठ	4. सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ 5. कालका डेण्टल कालेज, मेरठ 6. कोठीवाल डेण्टल कालेज मुरादाबाद
3	जी0 एस 0 बी0 एम 0 मेडिकल कालेज, कानपुर	11. रामा मेडिकल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कानपुर	7. रामा डेण्टल कालेज कानपुर
4	एस 0 एन 0 मेडिकल कालेज, आगरा	12. एफ 0 एच 0 मेडिकल कालेज आगरा 13. के0 डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा 14. कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज, मथुरा	8. के0 डी0 डेण्टल कालेज, मथुरा
5	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	15. हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी 16. हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सीतापुर 17. मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	9. चन्द्रा डेण्टल कालेज, बाराबंकी 10. बी0 बी0 डी0 कालेज आफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ
6	मेडिकल कालेज, गोरखपुर		11. डेण्टल कालेज, आजमगढ़
7	एम 0 एल 0 एन 0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज	18. हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी 19. यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	

I/348793/2023

8	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा	20. जी0 एस 0 मेडिकल कालेज, हापुड 21. स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा	12. आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज ग्रेटर नोएडा 13. स्कूल ऑफ डेण्टल (शारदा यूनिवर्सिटी), ग्रेटर नोएडा 14. श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज गाजियाबाद 15. डी0 जे0 कालेज मोदीनगर, गाजियाबाद 16. आई 0 डी0 एस 0 टी0 मोदीनगर गाजियाबाद 17. आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज, मुरादनगर, गाजियाबाद 18. इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज गाजियाबाद
9	तीर्थाकर महावीर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद	22. तीर्थाकर महावीर मेडिकल कालेज मुरादाबाद 23. श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अमरोहा	19. तीर्थाकर महावीर डेण्टल कालेज, मुरादाबाद
10	बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बरेली	24. रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली 25. श्री राममूर्ति मेडिकल कालेज बरेली 26. राजश्री मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली 27. वरुणानुर्जन, मेडिकल कालेज, शाहजहाँपुर	20. इंस्टी0 आफ डेण्टल साइंसेज, बरेली

Signed by आलोक कुमार

Date: 13-07-2023 17:25:52

Reason: Approved